

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: एफ. 55()अभियां./सीई/डीएलबी/2018/सड़क निर्माण/61052 दिनांक : 10/07/18

आ दे श

मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत RUIRP phase-I & phase-II के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में करवाये जा रहे सड़कों के निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराने हेतु संतत समीक्षा/मोनेटरिंग करने के लिये जारी विभागीय समसंख्यक आदेश सं. 50764 दिनांक 19.06.2018 में आंशिक संशोधन करते हुये सीकर जिले की नगर पालिका, रामगढ़-शेखावाटी के कार्यों का सुपरविजन/मोनेटरिंग करने के लिये श्री आर.डी. गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर के स्थान पर न्ता श्री राकेश शरण गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता, सीवरेज प्रोजेक्ट, रामगढ़-शेखावाटी को अधिकृत किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ. 55()अभि./सीई/डीएलबी/2018/सड़क निर्माण/61053-64 दिनांक : 10/07/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. सभापति/अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका, सीकर, रामगढ़-शेखावाटी।
4. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO. लालकोठी स्कीम, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, सीकर, रामगढ़-शेखावाटी।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. श्री आर.डी. गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर।
9. श्री राकेश शरण गर्ग, अधिशाषी अभियन्ता, सीवरेज प्रोजेक्ट, नगर पालिका, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता